

विक्रित सम्पत्ति मूल्यांकन सूची के प्रारूप- 4 के नगरीय क्षेत्र के पेज सं0 0266 के अनुसार प्रारूप-1 में आवंटित किया गया वी- कोड 3214 वाकै मौजा ग्राम भोजला ब्लॉक बड़ागांव तहसील व जिला झांसी के अनुसार

स्टाम्प का कुल योग —/—
दस्तावेज का प्रकार — बैनामा
जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित
मूल्यांकन सूची के अनुसार मूल्य —/—
विक्रय मूल्य —/—
मौजा — ग्राम भोजला
ब्लाक — बड़ागांव
सम्पत्ति का प्रकार — आवासीय
मापन की इकाई — वर्गमीटर

सम्पत्ति का क्षेत्रफल — वर्गमीटर
प्लॉट संख्या —

सड़क की स्थिति — विक्रित प्लॉट नम्बर भोजला से उन्नाव बालाजी जाने वाली सड़क पर शुभम रेजीडेन्सी कॉलोनी में 9 मीटर मार्ग पर स्थित है।

चौहददी — पूरब —
— पश्चिम —
— उत्तर —
— दक्षिण —

प्रथम कक्ष की संख्या — एक

द्वितीय पक्ष की संख्या —

नाम व पता विक्रेता प्रथम पक्ष — में0 वीएसएस हाउसिंग प्रा0लि0 पता- जानकीपुरम, सिविल लाइन, झाँसी शहर व जिला झांसी (PAN NO:- AACCV7129G) द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री शुभम सरावगीपुत्र श्री विजय कुमार सरावगी पता- 1506/1C जानकीपुरम झाँसी आधार संख्या 9122 8236 7825 से की गई है।

नाम व पता क्रेता द्वितीय पक्ष —

सम्पत्ति का विवरण – एक किता आवसीय भवन संख्याजो मौजा भोजला में स्थित शुभम रेजीडेन्सी में स्थित है जिसका LAYOUT झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा तलपट मानचित्र संख्या- 13/उपाध्यक्ष/जेडीए/2020-21 दिनांक 12/04/2022 को स्वीकृत है, उक्त LAYOUT आराजी संख्या 879 भोजला आराजीन पर स्थित है। उक्त आवासीय प्लाट पर Sqmt का निर्माण बेचा गया है, जिसके भवन निर्माण का मानचित्र झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा मानचित्र संख्याद्वारा दिनांक को स्वीकृत है। दस्तावेज हाजा के साथ प्लाट संख्या का नक्शा संलग्न है जिसमें विक्रित नम्बरान वरंग लाल से दर्शाया गया है। जो बैनामा का अंश भाग है। वयशुदा प्लाट ग्राम सभा या अन्य किसी ट्रस्ट की सम्पत्ति नहीं है। विक्रित आराजी विक्रेता ने जरिये बैनामा दिनांक 23/08/2010 को श्री विजयराम व श्री कृपाराम पुत्र स्व0 श्री रघुवर व श्रीमती धनकुंवर पत्नी स्व0 श्री रघुवर से खरीद की थी जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सब रजिस्ट्रार झांसी में फोटोस्टेट प्रति पुस्तक वही संख्या I जिल संख्या 4224 के पृष्ठ संख्या 39 से 64 तक क्रमांक 5766 पर दिनांक 23/08/2010 को रजिस्ट्रीकृत है,

विक्रेता अनुसूचित जाति एवं जनजाति का सदस्य नहीं है।

विक्रय मूल्य—/—..... रूपया
प्राप्त कर लिया है।

श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय द्वारा

निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार मूल्य –

.....

..... से अधिक नहीं है।

मैं कि विक्रेता उपरोक्त भवन का सम्पूर्ण रूप से मालिक काबिज व दाखिल हूँ, जो कहीं वय हिवा रहिन आदि नहीं है यानि हर प्रकार के जुम्लावार किफायत से पाक साफ व वरी है न ही भवन से स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन है न ही भवन किसी जमानत, डिग्री, ऋण आदि में मगफूल है। चूंकि मुझ विक्रेता को विकास कार्य हेतु रूपयों की जरूरत है अतः मैं विक्रेता को अपनी उपरोक्त भवन वकीमत उपरोक्त में वहक क्रेता उपरोक्त वय व फरोख्त करता हूँ, कब्जा दखल मालिकाना आज ही की तारीख से क्रेता उपरोक्त को वखूबी मौके पर करा दिया गया है अधिकार आप क्रेता भवन मुवैया में स्वयं काशत करें, या किसी अन्य व्यक्ति से काशत करावें, कागजात मालिकान से हमारा नाम खारिज कराके अपना नाम दर्ज कागजात करावें व हिवा रहिन करें गर्ज यह है कि जो जी चाहे सो करें। आज की तारीख से भवन मुवैया से मेरा वारिसान का कोई वास्ता व सरोकार नहीं रहा न आयन्दा होगा। काश किसी कानूनी नुक्स की वजह से भवन मुवैया कब्जे क्रेता से निकल जावे तो कुल कीमत मय हर्जा व खर्चा का देनदार व जिम्मेदार मैं विक्रेता रहूँगा। विक्रेता एवं क्रेता द्वारा तहरीरशुदा दस्तावेज में किन्हीं तथ्यों को छुपाया जाता है या कोई कूट रचना करायी जाती है तो उक्त कृत्य का सम्पूर्ण दायित्व मुकदमों आदि जैसे फौजदारी, दीवानी, माल, राजस्व, स्टाम्प एक्ट के वादों का दायित्व विक्रेता व क्रेता का ही होगा, सब रजिस्ट्रार, वकील (एडवोकेट), दस्तावेज लेखक, या जरिये वकील चित्र प्रमाणित के गवाह का नहीं होगा, क्रेता को फ्रंट एलिवेशन वास्तविक स्वरूप बदलने व सार्वजनिक सुविधाओं पर अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं होगा, क्रेता संलग्न कॉलोनी की नियम व शर्तों का पालन करेगा। कूट रचित दस्तावेज का सम्पूर्ण दायित्व विक्रेता व क्रेता का ही होगा। लिहाजा स्वेच्छा से विक्रेता एवं क्रेता द्वारा बताये गये तथ्यों के

आधार पर तथा बिना किसी जबर या दबाव के यह बैनामा तहरीर कर दिया ताकि सनद रहे वक्त जरूरत पर काम आवें।

दिनांक : __/__/20__

प्रारूपकर्ता :

गवाह (1)

गवाह (2)